

## Notice for Empanelment of Railway Advocate.

\*\*\*

Applications are invited from Advocates for empanelment as Railway Advocate for three years for the following districts of Uttar Pradesh ,Uttarakhand and Bihar viz. Allahabad, Varanasi, Mau, Ghazipur, Jaunpur, Deoria, Ballia, Chhapra, Gopalganj, Siwan ,Kushinagar, Mahrajganj, Santkabir Nagar, Gonda, Basti, Sidharthnagar, Balrampur, Bahraich, Lakhimpurkhiri, Sitapur, Kanpur nagar, Kanpur Dehat ,Faizabad, Sravasti, Pilibhit ,Bareilly, Nainital, Kasganj (Kanshiram Nagar) ,Badaun, Hathras (Mahamaya Nagar), Almora, Pithoragarh, Udhamasinghnagar, Mathura, Farrukhabad, Kannauj and Champawat. . The application should be made for only one district , in which they are normally practicing and it should be forwarded by District Judge or the senior most available judge or Government Advocate. It is made clear that it is not an employment in any way in railway service .The empanelled railway advocates will be given case wise fee as decided by Railway board from time to time. The last date for submission of application is 27.02..2015 in the office of General Manager (Commercial). North Eastern Railway, Gorakhpur in the proforma given as under:-

### PROFORMA FOR APPLICATION

To,  
General Manager( Commercial)  
North Eastern Rail way  
Gorakhpur-273012

Affix  
recent  
passport  
size  
photograph

Sub:- Empanelment of Railway Advocate for Civil Court/Distt.  
Consumer Forum .

- 1- Name
- 2-Father's name/
- 3-Full residential (with pin code)/Official address
- 4-Educational Qualification
- 5-Name of District/Court for which application is being made
- 6-Place of practice
- 7-Enrolment No. and date from Bar Council
- 8-Achievement  
(The cases contested by the applicant which have been reported in A.I.R./Forum/Accident manual or edition in any others Law Journal.)
- 9-Experience at Bar(Minimum 5 years experience as active Advocate)
- 10 (A) Telephone/Mobile No. (B) Fax No. (C) E-mail
- 11-Infrastructure
  - (a)Library (No. of Books)
  - (b)Computer/Internet facilities
  - (c)Law Reporter
    - i) AIR
    - ii)Accident Journals.
    - iii) Forum cases Journal.

(Applicant Signature)

-s/d-  
(Y.P.Dubey)  
ACM/Court  
For GENERAL MANAGER/C

No. C/579/30/RA/Appt./1/2015

Dated: 02.02 .2015

## रेल अधिवक्ताओं का पैनल बनाने हेतु सूचना

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं बिहार से संबंधित इलाहाबाद, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया, बलिया, छपरा, गोपालगंज, सीवान, कुशीनगर, महराजगंज सन्तकबीर नगर, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराईच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फैजाबाद, श्रावस्ती, पीलीभीत, बरेली, नैनीताल, कासगंज (कांशीराम), बदायुँ, हाथरस (महामाया नगर), अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, मथुरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज एवं चम्पावत जिलों के लिए रेल अधिवक्ताओं की नामिका तैयार किये जाने हेतु जो तीन वर्ष के लिए होगी, आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन पत्र जिला जज या उपलब्ध वरिष्ठतम जज या जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रसारित होना चाहिए। एक अधिवक्ता द्वारा एक ही जिले हेतु आवेदन पत्र जिस जिले में वह सामान्यतः विधि व्यवसाय करता हो, आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेलवे पैनल में स्थान पाना किसी भी दशा में रेल सेवा न समझा जाये। रेल पैनल पर स्थान पाने वाले अधिवक्ताओं को समय समय पर रेल परिषद् द्वारा निर्धारित विधिक फीस देय होगी। पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2015 तक महाप्रबन्धक /वाणिज्य, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्यालय में निम्नलिखित प्रारूप में प्राप्त किया जायेगा।

### आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,  
महाप्रबन्धक (वाणिज्य)  
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-273012

पासपोर्ट  
साइज  
फोटो चरपा  
करें

**विषय**—जिला न्यायालय/जिला उपभोक्ता फोरम हेतु रेल अधिवक्ताओं के पैनल का गठन।

1. नाम—
2. पिता का नाम/
3. पूर्ण आवासीय पता (पिन कोड सहित) कार्यालय का पता—
4. शैक्षणिक योग्यता—
5. जिस जिले/कोर्ट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है का नाम
6. विधि व्यवसाय करने का स्थान—
7. बार कौन्सिल में नामांकन की तिथि एवं संख्या—
8. उपलब्धियाँ—  
( आवेदक द्वारा प्रतिवाद किये गये केस जिसका प्रकाशन ए.आइ.आर./फोरम/दुर्घटना  
मैनुवल या अन्य किसी विधि प्रकाशन में प्रकाशित हुआ हो )
9. विधि व्यवसाय का अनुभव—(सक्रिय अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव)
10. (अ)दूरभाष /मोबाइल संख्या (ब)फैक्स न० (स) ई.मेल
11. मूलभूत सुविधायें—  
(अ) पुस्तकालय (पुस्तकों की संख्या)  
(ब) कम्प्यूटर /इन्टरनेट सुविधा  
(स) ला रिपोर्ट  
(I) ए०आई०आर०  
(ii) दुर्घटना जर्नल  
(iii) फोरम केसेज जर्नल

(आवेदक का हस्ताक्षर)

-s/d-  
(वाई० पी० दूबे)  
सवाप्र/कोर्ट  
वास्ते महाप्रबन्धक/वा०  
दिनांक 02.02.2015